**विभिन्न राज्यों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में असंगठित श्रमिक**

2360. **श्री अजीत जोगी:**
**श्री रामजीलाल:**

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कितने असंगठित श्रमिक हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान असंगठित श्रमिकों की संख्या में अत्याधिक वृद्धि हुई है;

(ग) आठवीं योजना के दौरान असंगठित श्रमिकों के कार्यकरण और आर्थिक स्थिति का आंकलन करने तथा इसमें सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए है/उठाये जाने का विचार है; और

(घ) असंगठित श्रमिकों का शोषण रोकने के लिए क्या प्रभावी उपाय किये गये हैं?

**श्रम मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम)**: (क) से (घ) जनगणना में कर्मकारों की गणना उस कार्यकलाप के आधार पर की जाती है जिसमें वे लोग होते हैं। असंगठित क्षेत्र कर्मकारों की संख्या से संबंधित आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते हैं अतः वे उपलब्ध नहीं हैं। तथापि ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजित अधिकांश कर्मकार और शहरी क्षेत्रों में निर्माण, रोड साइड होटलों और ढाबों आदि में नियोजित कर्मकार असंगठित होते हैं। कर्मकारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए और उनके कल्याण के लिए अधिनियमित किए गए अनेक श्रम कानून असंगठित कर्मकारों पर भी लागू होते हैं। ऐसे कुछ कानून हैः न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी संदाय अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, उपदान संदाय अधिनियम, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम आदि। लौह, मैगनीज, क्रोम, चूना पत्थर, डोलोमाइट और अभ्रक खानों, सिने उद्योग और बीड़ी उद्योग में नियोजित कर्मकार संबंधित कल्याण निधियों के अधीन चलाए जा रहे विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के अधीन भी शामिल किए गए हैं। राज्य सरकारों ने भी बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई है जिनके अधीन हथकरघा बुनकर, रिक्शा चालक आदि जैसे विशिष्ट कार्यकलापों में नियोजित एक बड़ी संख्या में कर्मकारों को शामिल किया गया है। असंगठित कर्मकारों के रोजगार की गुणता और कार्य की दशाओं में सुधार करने के मुद्दे को सरकार अत्यधिक महत्व देती रही है और यह जारी है।

**Transparent Mechanism for Registering Recruitment Agents for Overseas Jobs**

2361. PROF. RAM KAPSE: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have evolved a transparent mechanism for registering recruitment agents so that youths desirous of overseas jobs are not exploited;

(b) if so, the details thereof;

(c) the redressal mechanism available alongwith its effectiveness for the youth who are exploited by these agents in connivance with other agencies;

(d) if any, the details thereof alongwith the number of complaints received against such agents; and

(e) the action taken to bar these agents from those operations in future?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) The Registration Certificates are issued to the applicants keeping in view their financial soundness, trustworthiness, premises at which they intend to carry on their business, facilities at their disposal for recruitment, their antecedents and previous experience, if any, of recruitment and other related matters and on their furnishing the requisite security in the form of Bank Guarantee. The Registration Certificates are presently issued valid for recruitment of up to 300 workers, from 301 up to 1000 workers and for more than 1000 workers against the Bank Guarantee of Rs. 3 lakhs,. 5 Lakhs and 10 Lakhs respectively.

(c) to (e) Various conplaints such as cheating and extortion, substitution of contracts, down grading of skills, non-payment and delayed payment of wages, premature termination of contracts, un-